कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 41 /सी/क्रय–सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009

<u>आदेश</u>

द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,बुन्दकी जनपद बिजनौर परिक्षेत्र–मुरादाबाद की पेराई सत्र 2009–10 हेतु प्रस्तुत मॉग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–1244/सी/क्रय/ग0आ0/2009–10 दिनांक 16.09.2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या–1245/सी/क्रय/ग0आ0/09–10 दिनांक 16.9.2009 द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–12 (2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान **78.36 लाख कुन्टल** विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्प ट उल्लेख किया गया है कि ''आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 अन्तर्गत उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा।''

गत वर्ष **द्वारिकेश ुगर इण्डस्ट्रीज लि0,बुन्दकी** जनपद बिजनौर ने दिनांक 22.11.2008 को पेराई प्रारम्भ कर दिनांक 21.3.2009 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 119 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध **142.21 ला0कु0 गन्ना उत्पादन** में से लगभग **36 प्रतिशत ड्राल** करते हुए **50.65 ला0कु0** गन्ने की पेराई की।

कृ ाकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत, चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन)अधिनियम–1953 की धारा–15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 15.9.2009 को गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में मुरादाबाद परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृ ाकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009–10 में गन्ना क्षेत्र आवंटन एंव गन्ना आपूर्ति के संबंध में सुनवाई की गई।

विगत व ों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यो में अरूचि के कारण गत व । के सापेक्ष इस व । गन्ना

क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल के गत व र्ा के सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में **15.63 प्रतिशत** कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृ ाकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत व र्ा आवटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में **गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता** को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **118.41 ला0कु0** गन्ना उत्पादन का आंवटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के **जनपद बिजनौर** में गन्ने की औसत उपज **538.44 कुन्तल प्रति हेक्टेयर** है,जो कि पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्राप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी संबंधित को इस कार्यालय के पत्र संख्या–950/सी/क्रय/ ग0आ0 दिनांक 12–6–2009 द्वारा संसूचित की गई है,जिसके आधार पर **118.41 ला0कु0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल **21992 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों,गन्ना समितियों/गन्ना कृ ाकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने,चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृ टगत रखते हुए मैं, **सुधीर एम. बोबडे**, **गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,** उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम– 1953 की धारा–15, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–22 एवं ुगर केन कन्ट्रोल आर्डर–1966 की उप धारा–6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुये संलग्न तालिका के खण्ड–1 (क) एवं (ख) में अंकित क्रय केन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009–10 के लिये **द्वारिकेश ुगर इण्डस्ट्रीज लि0, बुन्दकी जनपद बिजनौर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद** को सुरक्षित/अभ्यर्पित करता हूँ तथा खण्ड–2 में इंगित क्रयकेन्द्र को उसके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिल बिलाई को अभ्यर्पित करता हॅू तथा आवंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हॅू कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर संबंधित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश–1954 के उपबन्ध–3(3) एवं 4(1) में निर्धारित प्रारूप–स पर सशपथ अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्रयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देशित करता हॅू कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने

सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहकारी विकास गन्ना समितियों,जिला गन्ना अधिकारियों, तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009–10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेगें, जब तक की इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाये।

(सुधीर एम. बोबडे)
गन्ना आयुक्त,उत्तर प्रदेश

टिप्पणी

1. इस व र्ा जिन नये क्रयकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रयकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्रयकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेगें । जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृ ाक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रयकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाय, एक से अधिक क्रयकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाय ।
2. चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रयकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रयकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्रयकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्रयकेन्द्रों पर सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं । ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित

चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेि ात करेगें ।

3. यदि पेराई सत्र 2009–10 में चीनी मिल द्वारा सन्तो ाजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रयकेन्द्र मूलरूप में आवंटित हुआ था ।

4. गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश–1954 के उपबन्ध–3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप–स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेगीं उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

5. चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर–1966 के खण्ड–3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आवंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा ।

(सुधीर एम. बोबडे)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 41 /सी/क्रय–सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेि ात :–

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश ाासन, बापू भवन, लखनऊ ।
2. सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेि ात कि वह उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का क ट करें ।
3. निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेि ात कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेि ात करने का क ट करें ।
5. सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त ।
6. सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेि ात कि वे कयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें ।
7. सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेि ात कि वे कयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेगें तथा यथा निर्दि ट समय के अन्तर्गत कयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरूद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।
8. सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियां ।
9. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें ।

(डा0 कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त (कय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 41/सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंग्नक–1)

द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,बुन्दकी,जनपद–बिजनौर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि.मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगीना/नजी0	मिल गेट	0	3086	16.62	सुरक्षित	
2	नगीना	भोगली–प्रथम	14	296	1.59	सुरक्षित	
3		भोगली–द्वितीय	15	134	0.72	सुरक्षित	
4		हैजरपुर	5	309	1.66	सुरक्षित	
5		खेड़ा उर्फ गाजीपुररूपचन्द्र	5	590	3.18	सुरक्षित	
6		नगीना बाईपास	10	375	2.02	सुरक्षित	
7		नारंगीचक	15	284	1.53	सुरक्षित	
8		जीतपुर पलडी	14	307	1.65	सुरक्षित	
9		कालाखेडी	13	199	1.07	सुरक्षित	
10		बूढावाला	17	217	1.17	सुरक्षित	
11		तुखमापुर	17	133	0.72	सुरक्षित	
12		रोशनपुर प्रताप	13	248	1.34	सुरक्षित	कोतवाली–। को संविलीन कर
13		कोतवाली–द्वितीय	11	196	1.06	सुरक्षित	
14		काजीवाला–प्रथम	14	221	1.19	सुरक्षित	
15		काजीवाला–द्वितीय	15	112	0.60	सुरक्षित	
16		नन्दपुर कला	12	128	0.69	सुरक्षित	
17		मोहिउदीनपुर	16	524	2.82	सुरक्षित	
18		झाड़पुरा	18	290	1.56	सुरक्षित	
19		जोगीरम्पुरी–द्वितीय	10	291	1.57	सुरक्षित	
20		महेशपुर	13	191	1.03	सुरक्षित	

21		पित्तनहेडी	13	176	0.95	सुरक्षित	
22	नगीना	फतेहपुर	17	148	0.80	सुरक्षित	
		योग		8455	**45.53**		

पत्रांक 41/सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंग्नक–1)

द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,बुन्दकी,जनपद–बिजनौर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
23	नगीना/नजी0	गुनियापुर	11	572	3.08	सुरक्षित	
24	नगीना	नगीना रोड	14	181	0.97	सुरक्षित	
25		शाहअलीपुर	16	177	0.95	सुरक्षित	
26		अलीपुर गंगा	19	235	1.27	सुरक्षित	
27		खुर्रमपुर डल्लू	17	203	1.09	सुरक्षित	
28		मुजफ्फरनगर	19	795	4.28	सुरक्षित	
29		नूरपुर अरब(नया)				सुरक्षित	मुजफ्फरनगर को विभाजित कर
30		नकीपुर	22	398	2.14	सुरक्षित	
31		विजयपुर	22	776	4.18	सुरक्षित	
32		सिक्कावाला	24	212	1.14	सुरक्षित	
33		टांडा साहूवाला	25	418	2.25	सुरक्षित	
34		काशीवाला	20	577	3.11	सुरक्षित	
35		बेनीपुर	24	300	1.62	सुरक्षित	
36		दोघराजपुर	21	472	2.54	सुरक्षित	
37		कोटज्वाना	30	264	1.42	सुरक्षित	
38		जमालपुर ढीकली	21	63	0.34	सुरक्षित	
39	नजीबाबाद	रतनपुर	10	172	0.93	सुरक्षित	

40		अकबराबाद	7	1451	7.81	सुरक्षित	
41		नसीरपुर मिठारी	17	609	3.28	सुरक्षित	
42		दूधली(नया)	17	0	0.00	सुरक्षित	नसीरपुर मिठारी को विभाजित कर
43		उमरी डवासोवाला–प्रथम	12	338	1.82	सुरक्षित	
44		उमरी डवासोवाला–द्वितीय	12	317	1.71	सुरक्षित	
		योग		**8530**	**45.93**		

पत्रांक 41/सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंग्नक–1)

द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,बुन्दकी,जनपद–बिजनौर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
45	नजीबाबाद	उमरी डवासोवाला–तृतीय	13	168	0.90	सुरक्षित	
46		मिलक कददूस	15	109	0.59	सुरक्षित	
47		पाडला	21	208	1.12	सुरक्षित	
48		हमीदपुर माखन	19	292	1.57	सुरक्षित	
49		पैमारकला	14	210	1.13	सुरक्षित	
50		गोविन्दपुर पाडला	18	152	0.82	सुरक्षित	
51		सराय इम्मा	16	173	0.93	सुरक्षित	
52		सिसौना	14	264	1.42	सुरक्षित	
53		बिरदोनंगली	15	112	0.60	सुरक्षित	
54	बिजनौर	थैपुर	22	203	1.09	सुरक्षित	
55		लालपुर–प्रथम	20	186	1.00	सुरक्षित	
56		विश्नोईवाला–प्रथम	17	92	0.50	सुरक्षित	
57		विश्नोईवाला–द्वितीय	17	195	1.05	सुरक्षित	

58		रहमापुर	15	195	1.05	सुरक्षित	
59		माडेवाला	18	64	0.34	सुरक्षित	
60		लालपुर–द्वितीय	20	146	0.79	सुरक्षित	
61		जीवनपुर	19	90	0.48	सुरक्षित	
62		गनौरा	24	228	1.23	सुरक्षित	
63		हकीकतपुर वीर चन्द्र	25	166	0.89	सुरक्षित	
		योग		**3253**	**17.52**		
		योग सुरक्षित		**20238**	**108.97**		

पत्रांक 41/सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंग्नक–1)

द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,बुन्दकी,जनपद–बिजनौर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–1(ख)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नजीबाबाद	खाईखेडी	7	692	3.73	अभ्यर्पित	नजीवाबाद चीनी मिल से
2		मेमन	21	185	1.00	अभ्यर्पित	,,
3		मुबारकपुर खोसा	22	148	0.80	अभ्यर्पित	,,
4	नगीना	चन्दनवाला	10	516	2.77	अभ्यर्पित	,,
5		रायपुर सादात	18	213	1.15	अभ्यर्पित	,,
		योग अभ्यर्पित		**1754**	**9.44**		
		कुल योग		**21992**	**118.41**		

खण्ड–2

क्र0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से	गन्ना	गन्ना	सुरक्षित	अभ्यक्ति

स0			केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	क्षेत्रफल (हे0)	उत्पादन (ला0कुं0)	/ अभ्यर्पित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजनौर	महेश्वरीजट–द्वितीय	18	154	0.83	अभ्यर्पित	बिलाई चीनी मिल को
		योग		**154**	**0.83**		